आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं.484/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2013-14

लखनलाल मालवीय, बाजार चौक, चिंचोली बैतुल	बनाम	एनएफएसी, दिल्ली
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं. -एजीएनपीएम 1101 डी PAN - AGNPM1101D		

अपीलार्थी की ओर से :	कोई नहीं (लिखित निवेदन)
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	24.02.2025
उद्धघोषणा तिथि :	25.02.2025

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, दिल्ली के आदेश दिनांक 21.02.2024 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया है कि यह अपील 45 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया कि प्रथम अपीलीय कार्यवाही के दौरान नोटिस पूर्ववर्ती अधिवक्ता श्री दीपक अग्रवाल, सीए के ई-मेल के आईडी पर प्रेषित किए गए थे । निर्धारिती के पूर्व

अधिवक्ता ने न तो आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित हुआ न ही उन्होंने निर्धारिती को आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा 21.02.2024 को पारित आदेश की सूचना दी । निर्धारिती को इस संबंध में जानकारी तब प्राप्त हुई जब निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को प्रथम अपील खारिज होने की सूचना दी गई थी और अतः 10 दिनों के अंदर बकाया मांग का भुगतान करने को निदेश दिया गया था । इस वजह से निर्धारिती को आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने में 45 दिनों का विलंब हुआ । निर्धारिती द्वारा उक्त आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है । निर्धारिती द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील दाखिल करने में विलंब निर्धारिती के पूर्व अधिवक्ता की भूल की वजह से हुई है अतः उसने इस विलंब को माफ करने हेतु अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध पर आपत्ति नहीं की । मैंने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत वजह से हुआ है अतः मैं इस विलंब को माफ करता हूँ तथा अपील सुनवाई हेतु लेता हूँ ।

3. इस अपील के संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित आवेदन दाखिल किया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "**प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024**" के अधीन आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 4 जारी किया गया है । आवेदन के साथ फार्म सं. 4 की प्रति भी दाखिल की गई हैं । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः मैं इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करता हूँ तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करता हूँ ।

4. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस

योजना में भाग लेने हेतु किए गए आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किए जाता है ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 25.02.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 25.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल